JALAUN POLICE

दिनांक – 08.05.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 02 अभियोग में मान0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तगण को अधिक से अधिक सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम– अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ लंगड़ पुत्र स्व0 आशाराम उर्फ कल्लू नि0 कस्बा व थाना आटा जनपद जालौन द्वारा वादी की पत्नी की हत्या करने के संबन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना आटा में दिनांक 27.03.2024 को मु0अ0सं0 46/2024 (वाद संख्या 82/24) धारा 302/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था। दिनांक 28.03.2024 को अभियुक्त जितेन्द्र उपरोक्त को गिरफ्तार कर मान0 न्यायालय भेजा गया था। विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही एवं विवेचना पूर्ण करते हुये अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 26.04.2024 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 08.05.2025 को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त जितेन्द्र उपरोक्त को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 51,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण द्वितीय– अभियुक्तगण 1.रामराजा पुत्र बुद्ध सिंह 2. बुद्ध सिंह पुत्र तुलाराम नि0 सिकरीराजा कोतवाली जालौन जनपद जालौन द्वारा वादी के परिवारीजनों के साथ मारपीट करने के संबन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर कोतवाली जालौन में दिनांक 31.03.2021 को मु0अ0सं0 117/21 (वाद संख्या 143/21) धारा 452/323/324/504/506/427 भादवि व 3(1)द,ध एससी/एसटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही एवं विवेचना पूर्ण करते हुये अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 27.09.2021 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 08.05.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे स्पेशल एससी एसटी कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण 1. रामराजा 2. बुद्ध सिंह उपरोक्त को दोषी पाते हुये प्रत्येक को 03-03 वर्ष का कारावास एवं 21,000-21,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।